

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक: 06/11/2017

सा.का.नि..... (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 398 के साथ पठित धारा 469 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है यथा:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) संशोधन नियम, 2017 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (दस्तावेजों एवं प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2015 (जिन्हें इसके पश्चात् मूल नियम कहा जाएगा), के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:

“3. रजिस्ट्रार को वित्तीय कथन फाइल करना - निम्नलिखित वर्ग की कंपनियां इस अधिनियम की धारा 137 के अधीन अपने वित्तीय कथन और अन्य दस्तावेज रजिस्ट्रार को उपाबंध-1 के अनुसार ई-प्ररूप एओसी-4 एक्सबीआरएल में फाइल करेंगी:-

- i. भारत के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियां और उनकी भारतीय समनुषंगियां;
- ii. कंपनियां जिनकी संदत्त पूंजी पांच करोड़ रु या अधिक है;
- iii. कंपनियां जिनका व्यापारावर्त एक सौ करोड़ रु या अधिक है;
- iv. सभी कंपनियां जिनके द्वारा उनके वित्तीय कथन कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अनुसरण में तैयार करना अपेक्षित है;

परंतु यह कि कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के अधीन अपने वित्तीय कथन तैयार करने वाली कंपनियां उपाबंध-2 में दी गई टेक्सानामी का प्रयोग करते हुए कथन फाइल करेगी और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अधीन अपने वित्तीय कथन तैयार करने वाली कंपनियां उपाबंध-2क में दी गई टेक्सानामी का प्रयोग करते हुए अपने कथन फाइल करेंगी:

परंतु यह और कि गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां, आवास वित्त कंपनियां और बैंककारी कारबार और बीमा क्षेत्र में लगी कंपनियों को इन नियमों के अधीन वित्तीय कथन फाइल करने से छूट है।

3. मूल नियमों में, उपाबंध 1, के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात्:

उपाबंध 1
(नियम 3 देखें)

प्ररूप सं. ए ओ सी-4 एक्सबीआरएल
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 और
कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 12(2)
के अनुसरण में]



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रार को वित्तीय कथन और अन्य
दस्तावेजों के संबंध में एक्सबीआरएल
दस्तावेज को फाइल करने के लिए प्ररूप

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

प्ररूप भरने के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण - सभी * चिह्नित खानों को भरा जाना आज्ञापक है।

फाइल करने की तारीख को कंपनी की प्राधिकृत पूंजी

फाइल करने की तारीख को कंपनी के सदस्यों की संख्या

1. (क) *कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (पूर्व-पूरित)

(ख) कंपनी की वैश्विक स्थिति संख्या (जी एल एन)

2. (क) कंपनी का नाम

(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

.....

(ग) *कंपनी का ई-मेल आईडी

3. * वित्तीय कथनों का वित्त वर्ष

से (दिन/मास/वर्ष) तक (दिन/मास/वर्ष)

4.(क)*निदेशक बोर्ड की बैठक की तारीख जिसमें वित्तीय कथन अनुमोदित किए गए (दिन/मास/वर्ष)

(ख) (i) *वित्तीय कथनों की प्रकृति

(ii) पुनरीक्षण की प्रकृति 0 वित्तीय कथन 0 निदेशक रिपोर्ट 0 दोनों

(iii) क्या पहले अनंतिम वित्तीय कथन फाइल किया गया था 0 हां 0 नहीं 0 लागू नहीं

(iv) क्या स्थगित साधारण अधिवेशन (एजीएम) में अंगीकृत किया गया था 0 हां 0 नहीं 0 लागू

नहीं

(v) स्थगित साधारण अधिवेशन (एजीएम) की तारीख जिसमें वित्तीय कथन अंगीकृत किया गया था..

(vi) प्ररूप आईएनसी-28 का एसआरएन

(vii) *प्ररूप एओसी-4/एओसी-4 एक्सबीआरएल का एसआरएन.....

(viii) सक्षम प्राधिकारी के आदेश की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

5. (क) क्या वार्षिक साधारण अधिवेशन (एजीएम) आयोजित हुई 0हां 0नहीं 0लागू नहीं
(ख) यदि हां तो, साधारण अधिवेशन (एजीएम) की तारीख (दिन/मास/वर्ष)
(ग) *साधारण अधिवेशन (एजीएम) की निर्धारित तारीख (दिन/मास/वर्ष)
(घ) *क्या वित्तीय वर्ष या साधारण अधिवेशन (एजीएम) का समय बढ़ाने के लिए अनुमति दी गई
0हां 0नहीं
(ड.) यदि हां, तो समय बढ़ाने के पश्चात् साधारण अधिवेशन (एजीएम) की निर्धारित तारीख
..... (दिन/मास/वर्ष)

6. (क) *क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III लागू है 0 हां 0 नहीं
(ख) *कंपनी अपने वित्तीय कथन किस आधार पर फाइल करती है
0 एस टैक्सानॉमी या 0 इंडएस टैक्सानॉमी

7. *उद्योग का प्रकार

8. *क्या समेकित वित्तीय कथन अपेक्षित है 0 हां 0 नहीं

9. (क) सरकारी कंपनी के मामले में, क्या भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी की है या उसमें कुछ अनुपूरक किया गया है

0 हां 0 नहीं

- (ख) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त टिप्पणियों या अनुपूरकों का ब्यौरा दें -

--

- (ग) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त टिप्पणियों पर निदेशक का उत्तर

--

- (घ) क्या भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने धारा 143 के अधीन अनुपूरक लेखापरीक्षा या परीक्षण लेखापरीक्षा की है 0 हां 0 नहीं

10. *क्या अनुसचिवीय लेखापरीक्षा लागू है

0 हां 0 नहीं

11. *क्या धारा 134(3) के अधीन निदेशक की रिपोर्ट के संबंध में विस्तृत प्रकटीकरण ब्यौरे संलग्न है

0 हां 0 नहीं

12* (क) निम्नलिखित तालिका में यथा उपबंधित 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान रखी गयी या संव्यवहार की गई विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के ब्यौरे :-

विशिष्टियां	एसबीएन	अन्य नोट	कुल
08.11.2016 की स्थिति तक अंतिम नकदी			
(+) अनुज्ञेय प्राप्तियां			
(-) अनुज्ञेय भुगतान			
(-) बैंक में जमा की गई रकम			
30.12.2016 तक अंतिम नकदी			

12(ख)* क्या लेखा परीक्षक ने यह सूचित कर दिया है कि क्या कंपनी ने 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान अपने वित्तीय कथनों में अपने धृति और साथ ही विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के व्यवहारों का सही प्रकटीकरण किया है और यदि हां तो क्या वह कंपनी द्वारा रखी गई लेखा बही के अनुसार है।

0 हां 0 नहीं

संलग्नक

संलग्नकों की सूची

- | | |
|---|--------------------|
| 1.*धारा 134 के अनुसार सम्यक रूप से अधिप्रमाणित एकसबीआरएल वित्तीय कथन (बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज सहित) | <u>संलग्न करें</u> |
| 2. समेकित वित्तीय कथन के संबंध में एकसबीआरएल दस्तावेज | <u>संलग्न करें</u> |
| 3. धारा 129 के अनुसार समनुषंगियों का विवरण - प्ररूप एओसी-1 (विदेशी समनुषंगियों के संबंध में संलग्न किया जाए) | <u>संलग्न करें</u> |
| 4. वार्षिक साधारण अधिवेशन में तुलन पत्र अंगीकार नहीं करने संबंधी तथ्य और कारण का कथन | <u>संलग्न करें</u> |
| 5. वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित नहीं करने संबंधी तथ्य और कारण का विवरण | <u>संलग्न करें</u> |
| 6. वित्तीय वर्ष या वार्षिक असाधारण अधिवेशन के विस्तार का अनुमोदन पत्र | <u>संलग्न करें</u> |
| 7. धारा 143 के अधीन अनुपूरक या जांच लेखापरीक्षा रिपोर्ट | <u>संलग्न करें</u> |
| 8. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के टिप्पणियों के ब्यौरे | <u>संलग्न करें</u> |
| 9. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हों | <u>संलग्न करें</u> |

संलग्नक हटाएं

घोषणा

मैं कंपनी के निदेशक मंडल के संकल्प संख्या तारीख द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषणा करने के लिए प्राधिकृत हूं कि इस प्ररूप या इससे संबंधित मामलों की विषय-वस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बने नियमों की सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि:

1. उपर्युक्त दी गई सभी सूचना इस प्ररूप के संलग्नकों समेत सत्य, सही और पूर्ण है तथा इस प्ररूप से संबंधित कोई सूचना नहीं छिपाई गई है और कंपनी द्वारा अनुरक्षित मूल अभिलेखों के अनुसार है।
2. यह पुष्टि की जाती है कि सभी संलग्नक एकसबीआरएल दस्तावेज सम्यक रूप से हस्ताक्षरित वित्तीय कथनों और सभी अन्य दस्तावेजों, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 के अधीन वित्तीय कथन के साथ संलग्न करना अपेक्षित है, की एकसबीआरएल संपरिवर्तित प्रतियां हैं। यह भी पुष्टि की जाती है कि ऐसे दस्तावेज कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों का प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में भरा जाना)

नियम, 2015 के अधीन यथा अधिसूचित एक्सबीआरएल वर्गीकरण विज्ञान (टेक्सोनॉमी) का उपयोग करते हुए तैयार किए गए हैं।

3. सभी अपेक्षित दस्तावेज इस प्ररूप के साथ पूर्ण और पठनीय रूप से संलग्न किए गए हैं।

***अंकीय हस्ताक्षर किए जाए**

(डीएससी बॉक्स)

*पदनाम

*निदेशक का निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन); प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ या प्राधिकृत प्रतिनिधि का डीआईएन या पैन; अथवा कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

वृत्तिक व्यावसायी द्वारा प्रमाण-पत्र

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन के प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से नियुक्त किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्ररूप की विषय-वस्तु और उससे संबंधित मामलों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अध्ययन किया है और मैंने उपरोक्त ब्यौरों (संलग्नकों सहित) का कंपनी/आवेदक द्वारा रखे गए मूल/प्रमाणित अभिलेखों, जो इस प्ररूप की विषय-वस्तु है, से सत्यापन किया है तथा उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है और इस प्ररूप से संबंधित कोई सूचना छुपाई नहीं गई है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि -

1. उक्त अभिलेख कंपनी के अपेक्षित अधिकारियों द्वारा उचित रीति से तैयार और हस्ताक्षरित हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत उपबंधों के अनुसार रखे गए हैं तथा उन्हें ठीक स्थिति में पाया गया;
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि संलग्न एक्सबीआरएल दस्तावेज, सभी संबंधित मामलों में, उचित रीति से कंपनी (प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में दस्तावेजों और प्ररूपों को फाइल करना) नियम, 2015 के अधीन यथा अधिसूचित कंपनी दस्तावेजों और प्ररूपों को विस्तारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना नियम, 2015 (एक्सबीआरएल) वर्गीकरण विज्ञान (टेक्सोनॉमी) के अनुसार कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की वस्तुस्थिति दर्शाते हैं;
3. सभी अपेक्षित दस्तावेज पूर्ण और पठनीय रूप से इस प्ररूप के साथ संलग्न किए गए हैं;
4. यह समझा गया है कि यदि किसी स्तर पर प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के अधीन कार्रवाई का दायी रहूंगा।

0 चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसायरत) या 0 लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसायरत) या
0 कंपनी सचिव (पूर्णकालित व्यवसायरत)

सहबद्ध या फेलो 0 सहबद्ध 0 फेलो

सदस्यता संख्या

व्यवसाय संख्या का प्रमाण पत्र

टिप्पण: धारा 448 और धारा 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमशः मिथ्या कथन/प्रमाण पत्र के लिए शास्ति और मिथ्या साक्ष्य के लिए शास्ति का उपबंध है।

उपांतरित करें प्ररूप की जांच करें पूर्ण संवीक्षा जमा करें

कार्यालय उपयोग हेतु

फाइल ब्यौरे लगाएं

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

.....

ई-प्ररूप फाइल तारीख

..... (दिन/मास/वर्ष)

इस ई-प्ररूप को रजिस्टर किया जाता है

जमा की पुष्टि करें

हस्ताक्षर की तारीख

..... (दिन/मास/वर्ष)

या

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रॉनिक तरीकें से और फाइल करने वाले कंपनी द्वारा दिए गए कथनों की सत्यता के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुरक्षित फाइल में लिया गया है।”।

4. मूल नियमों में, उपाबंध-2 के बाद निम्नलिखित उपाबंध अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“उपाबंध-II क
(नियम 3 देखें)

[फा.सं. 1/19/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह
6/11/2017

(अमरदीप सिंह भाटिया)

संयुक्त सचिव

टिप्पणी :- मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 692 (अ), तारीख 9 सितंबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 397(अ) तारीख, 4 अप्रैल, 2016 द्वारा संशोधित किए गए।

**[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART
II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Notification**

New Delhi, the 06/11/2017

G.S.R.....(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 read with section 398 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language), Amendment, Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. Filing of financial statements with Registrar.- The following class of companies shall file their financial statements and other documents under section 137 of the Act with the Registrar in e-form AOC-4 XBRL as per Annexure-I:-

(i) companies listed with stock exchanges in India and their Indian subsidiaries;

(ii) companies having paid up capital of five crore rupees or above;

(iii) companies having turnover of one hundred crore rupees or above;

(iv) all companies which are required to prepare their financial statements in accordance with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015:

Provided that the companies preparing their financial statements under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 shall file the statements using the Taxonomy provided in Annexure-II and companies preparing their financial statements under Companies (Indian

Accounting Standards) Rules, 2015, shall file the statements using the Taxonomy provided in Annexure-II A:

Provided further that non-banking financial companies, housing finance companies and companies engaged in the business of banking and insurance sector are exempted from filing of financial statements under these rules.”.

3. In the principal rules, for Annexure-I, the following Annexure shall be substituted, namely:-

“Annexure-I
(see rule 3)

FORM NO. AOC- 4 XBRL

[Pursuant to section 137 of the
Companies Act, 2013 and rule 12(2) of
Companies (Accounts) Rules, 2014]



**Form for filing XBRL document
in respect of financial statement
and other documents with the
Registrar**

Language ☐ English ☐ Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

Note -All fields marked in * are to be mandatorily filled.

Authorised capital of the company as on the date of filing

Number of members of the company as on the date of filing

1. (a) *Corporate identity number (CIN) of company

Pre-fill

(b) Global location number (GLN) of company

2. (a) Name of the company

(b) Address of
registered office
of the company

(c) *e-mail id of the company

3. * Financial year to which financial statements relates

From

(DD/MM/YYYY)

To

(DD/MM/YYYY)

4.(a)*Date of Board of Directors' meeting in which financial statements are approved

(DD/MM/YYYY)

(b) (i) *Nature of financial statements

(ii) Nature of revision ☐ Financial statement ☐ Directors Report ☐ Both

(iii) Whether provisional financial statements filed earlier ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable

(iv) Whether adopted in adjourned AGM ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable

(v) Date of adjourned AGM in which financial statements were adopted

(vi) SRN of form INC-28

(vii) SRN of form AOC-4/AOC-4 XBRL

(viii) Date of order of competent authority

(DD/MM/YYYY)

5.(a) Whether Annual General Meeting (AGM) is held ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable

(b) If yes, date of AGM

(DD/MM/YYYY)

(c) *Due Date, of AGM

(DD/MM/YYYY)

(d) *Whether any extension for financial year or AGM granted ☐ Yes ☐ No

(e) If yes, due date of AGM after grant of extension

(DD/MM/YYYY)

6.(a) *Whether Schedule III of the Companies Act, 2013 is applicable ☐ Yes ☐ No

(b) *Whether financial statements have been drawn on the basis of ☐ AS Taxonomy ☐ Ind-AS Taxonomy

7. *Type of Industry

8. *Whether consolidated Financial Statements Required or Not ☐ Yes ☐ No

9. (a) In case of a government company, whether Comptroller and Auditor General of India (CAG of India) has commented upon or supplemented the audit report under section 143 of the Companies Act, 2013 ☐ Yes ☐ No

(b) Provide details of comment(s) or supplement(s) received from CAG of India

(c) Director's reply(s) on comments received from CAG of India

(d) Whether CAG of India has conducted supplementary or test audit under section 143 ☐ Yes ☐ No

10. *Whether Secretarial Audit is applicable. ☐ Yes ☐ No

11. *Whether detailed disclosure with respect to Director's report under section 134(3) is attached ☐ Yes ☐ No

12(a) *Details of Specified Bank Notes (SBN) held and transacted during the period from 8th November, 2016 to 30th December, 2016 as provided in the Table below :-

Particulars	SBNs	Other denomination notes	Total
Closing cash in hand as on 08.11.2016			
(+) Permitted receipts			
(-) Permitted payments			
(-) Amount deposited in Banks			
Closing cash in hand as on 30.12.2016			

12(b) *Whether the auditors have reported as to whether company had provided requisite disclosures in its financial statements as to holdings as well as dealings in Specified Bank Notes during the period from 8th November, 2016 to 30th December, 2016 and if so, whether these are in accordance with the books of accounts maintained by the company ☐ Yes ☐ No

Attachments

- * XBRL financial statements duly authenticated as per section 134 (including Board's report, auditors' report and other documents)
- XBRL document in respect of Consolidated financial statement
- Statement of subsidiaries as per section 129-Form AOC-1
(To be attached in respect of Foreign subsidiaries)
- Statement of the fact and reasons for not adopting balance sheet in the annual general meeting (AGM)
- Statement of the fact and reasons for not holding the AGM
- Approval letter of extension of financial year or AGM
- Supplementary or test audit report under section 143
- Details of comments of CAG of India
- Optional attachments (s)- if any

Attach
Attach
Attach
Attach
Attach
Attach
Attach
Attach

List of attachment(s)

Remove attachment

Declaration

I am authorized by the Board of Directors of the Company vide *resolution number *dated to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that:

1. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.
2. It is confirmed that the attached XBRL document(s) are the XBRL converted copy(s) of the duly signed Financial Statements and all other documents which are required to be annexed or attached to the Financial Statements as required under Section 137 of the Companies Act, 2013. It is further confirmed that such document(s) have been prepared using the XBRL taxonomy as notified under Companies (Filing of documents and forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015
3. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

*To be digitally signed by

DSC

*Designation

*Director identification number of the director; or
PAN of the manager or CEO or CFO; or
Membership number of the secretary

Certificate by practicing professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original/certified records maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that:

1. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;
2. It is further certified that the attached XBRL document(s) fairly present, in all material respects, the audited financial statements of the company, in accordance with the XBRL taxonomy as notified under Companies (Filing of documents and forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015
3. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form;
4. It is understood that I shall be liable for action under Section 448 of the Companies Act, 2013 for wrong certification, if any found at any stage.

☐ Chartered accountant (in whole-time practice) or
☐ Company secretary (in whole-time practice)

☐ Cost accountant (in whole-time practice) or

Whether associate or fellow

☐ Associate

☐ Fellow

Membership number

Certificate of practice number

Note: Attention is drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

Modify

Check Form

Prescrutiny

Submit

For office use only:

eForm Service request number (SRN)

Digital signature of the authorising officer

This e-Form is hereby registered

Date of signing

Affix filing details

eForm filing date

Confirm submission

(DD/MM/YYYY)

(DD/MM/YYYY)

OR

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the filing company

4. In the principal rules, after the Annexure-II, the following Annexure shall be inserted, namely:-

"Annexure- II A
(see Rule 3)

[F. No. 1/19/2013-CL-V]


6/11/2017

AMARDEEP SINGH BHATIA,
Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification number GSR 692(E) dated the 9th September, 2015 and was amended *vide* notification number G.S.R. 397(E), dated the 4th April, 2016.